न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(आनन्दी लाल वैष्णव,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 01.03.2019

प्रहलाददास पुत्र छीतरदास जाति स्वामी निवासी बरोल तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 22.10.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 18.10.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 22.10.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 17,18,19,20,178,179 व 180 कुल किता 7 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी—2 वाके ग्राम गनवर पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट उपरोक्त वर्णित भूमियो पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज न होकर सद्भावना पूर्वक काबिज है इन भूमियो पर अपीलांट का पिता छीतरदास का गत 50 वर्षो से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त था जिसने काफी मेहनत करके भूमि को उपयोगी बनाया था उसके

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

841

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

देहान्त के पश्चात अपीलांट का लगातार शान्ति पूर्वक उक्त भूमि पर काबिज है और काश्त करता आ रहा है। अपीलांट को पूर्व मे कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त का भिन्न वर्षो की खसरा परिवर्तन शील मे बहेसियत काश्तकार के काश्त की गई फसल का व कब्जे का अंकन किया जाता रहा है। उक्त भूमि की शास्ति भी अपीलांट द्वारा जमा करवाई जा रही है। विवादित भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2017 व 14.10.2010 द्वारा निर्णय पारित करने पर तत्समय ही न्यायालय हाजा द्वारा क्रमशः निर्णय दिनांक 22.03.2018 व 16.06.2011 से अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु उक्त दोनो पत्रावलियां रिमाण्ड की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सिवायचक भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 17,18,19,20,178,179, व 180 कुल किता–07 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि किस्म बारनी–2 (बीसलपुर आरक्षित) वाके ग्राम गनवर तहसील मालपुरा पर मूंग की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलांट को जारी नोटिस कि पुश्त पर बहू से तामिल होना अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी होना अंकित है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.10.2018 मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी/बेदखली का उल्लेख नही है। प्रश्नगत अपील का पूर्व मे भी न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.03.2018 व 16.06.2011 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई है कि वह अपीलांण्ट को विधिवत रूप से नोटिस जारी करे एंव उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे। अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 22.10.2018 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner